TENDER DOCUMENT

1. The Tender document is available for bidding. The bidder has to submit trough Demand Draft/Pay Order or by cash a sum of Rs. 5,000/- in favour of 'Commissioner, Municipal Corporation Yamuna Nagar-Jagadhri, towards cost of Tender Document.
2. Earnest Money amounting to Rs. 5.00 Lacs (Five lacs only) is also to be deposited at the time of submission of tender documents.

TENDER SCHEDULE

TENDER FOR THE ALLOTMENT OF ADVERTISING RIGHTS ON BUS-Q-SHELTERS, CANTILEVER GANTRIES, UNIPOLES, POLICE BOOTHS, HOARDINGS, ROOF TOP ON AUTO RICKSHAW STAND for the period of 2 years. The Bidders have to submit the Technical and Financial bids Separately. There are 76 places where advertisement can be displayed as selected by Sh. Navdeep Ashija Consultant appointed by Punjab & Haryana High Court.

The tender schedule is given below:

Sl. No.	Activity	Date and time	Venue
1	Sale of Tender Document	Upto 03.00 PM on 20.08.2015	Municipal Corporation, Yamuna Nagar-Jagadhri.
2	Last date for submission of tender.	Upto 03.00 PM on 20.08.2015	Municipal Corporation, Yamuna Nagar-Jagadhri.
3	Last Date of Submission of tender fees & EMD	Upto 3.00 PM on 20.08.2015	Municipal Corporation, Yamuna Nagar-Jagadhri.
4	Opening of Technical & Financial Bid	Upto 3.30 PM on 21.08.2015	Municipal Corporation, Yamuna Nagar-Jagadhri.

Advertisement locations are 76 in Nos. & the detail is as follows:-

1. Cantilever gantries 12 Nos.
2. Bus Queue shelters 28 Nos.
3. Police Booths 3 Nos.
4. Unipoles 20 Nos.
5. Hoardings 10 Nos.
6. Roof Top on Auto Rickshaw Stand 3 Nos.

The further detail of locations can be seen from the office of Municipal Corporation, Yamuna Nagar-Jagadhri.

All correspondence with respect to this tender, may be addressed to:

Commissioner,
Municipal Corporation
Yamuna Nagar-Jagadhri.
Tel: +91(01732) 237841,
Fax: +91(01732) 228167

नियम व शर्ते

1. ठेके की अवधि 2 वर्ष की होगी।
2. इच्छुक ऐजैन्सीयां/ व्यक्तियों द्वारा निविदा के साथ आयुक्त नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के पक्ष में 5,00,000 रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट बतौर धरोहर राशी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। सफल बोलीदाता की यह राशि बतौर सिक्योरिटी कार्यालय में जमा रहेगी, इस राशी पर कोई ब्याज देय न होगा, यह राशि ठेका समाप्ती उपरान्त आवेदन प्राप्त होने पर लौटाई जायेगी।
3. हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 16.02.2010 को The Haryana Municipal Outdoor Advertising Policy, 2010 के अनुरूप ही विज्ञापन प्रकाशित करने होगें और उसमें वर्णित सभी शर्ते लागु समझी जायेगी।
4. सामाजिक स्कीम /सन्देश व विकास योजनाओं बारे विज्ञापन पर कोई फीस देय न होगी तथा सभी विज्ञापन बोर्डो पर उक्त विज्ञापन हेतू 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा।
5. प्रथम वर्ष के ठेके की राशी टैन्डर स्वीकृत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर-2 जमा करवानी होगी, दुसरे वर्ष ठेके की राशी 10 प्रतिशत वृद्वि के साथ एक माह पूर्व जमा करवानी होगी। देरी के लिए 18 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जायेगा। परन्तु किसी भी सूरत में एक माह की अवधि बीत जाने के उपरान्त बिना नोटिस दिये ठेकेदार की सिक्योरिटी जब्त करते हुए ठेका रद्व कर दिया जायेगा।
6. होर्डिंग निर्धारित स्थानों पर लगाने का प्रबन्ध ठेकेदार स्वयं अपने खर्चे / स्तर पर करेगा।
7. वर्तमान ठेके में बैनर का विज्ञापन सम्मलित नही है तथा नगर निगम अपने स्तर पर बैनर का ठेका अलग से देने बारे विचार कर सकती है। इस बारे ठेकेदार को कोई आपत्ति न होगी।
8. सभी प्राईवेट साईट/भवन के मालिक के लिखित स्वीकृत, भवन का साईट प्लान एवं Structure Engineer द्वारा प्रमाणित Safety/ Stability प्रमाण पत्र देना होगा।
9. सफल बोलीदाता के ठेके का कार्यकाल स्वीकृति उपरान्त प्रारम्भ समझा जावेगा।
10. सफल बोलीदाता/ ऐजैन्सी को ठेका स्वीकृत होने उपरान्त नगर निगम के साथ एक सप्ताह के अन्दर-2 लिखित अनुबन्ध करना होगा।
11. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/ विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाली दुर्घटना की जिम्मेवारी केवल ठेकेदार की होगी।
12. सम्बन्धित ऐजैन्सी सभी प्रकार के विज्ञापन लगाने का कार्य निर्धारित मापदण्ड/ साईज के अनुसार ही होगी।
13. सम्बन्धित ऐजैन्सी विज्ञापन लगाने से पूर्व प्रयुक्त स्थान विज्ञापन की सूचना नगर निगम को उपलब्ध करवाने का पाबन्द होगा तथा न ही निर्धारित स्थान को बदलेगा।
14. यदि सम्बन्धित ठेकेदार/ ऐजैन्सी द्वारा समय अवधि से पूर्व ठेका अधूरा छोडकर जाता है तो उस द्वारा जमा राशी जब्त कर ली जायेगी।
15. यदि माननीय न्यायालय/ सरकार द्वारा विज्ञापन की शर्तो में कोई बदलाव/ प्रतिबन्ध किया जाता है तो ठेकेदार को सभी शर्तो मान्य होंगी व हरियाणा विज्ञापन Control Bye Laws व समय-2 पर जारी दिशा निर्देशो की पालना करने का बाध्य होगा।
16. आयकर विभाग की देनदारी, सर्विस टैक्स की देनदारी ठेकेदार की होगी।

17. सम्बन्धित ऐजन्सी/ ठेकेदार ऐसे स्थानों पर विज्ञापन बोर्ड व अन्य बोर्ड नही लगायेगा जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित हो तथा सरकार द्वारा समय-2 पर जारी दिशा निर्देशो को मानने का पाबन्द होगा।

18. होर्डिंग से बिजली की तारो से उचित दूरी रखनी होगी ताकि किसी भी प्रकार की होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। फिर भी यदि कोई दुर्घटना होती है तो ऐजैन्सी/ ठेकेदार जिम्मेवार होगा।

19. उपरोक्त किसी भी शर्त की उल्लंघना करने पर जमा राशी जब्त करके ठेका रद्व कर दिया जायेगा।

20. सम्बन्धित ऐजैन्सी व नगर निगम के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा/ फैसले का अधिकार निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा का होगा। यह निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

21. विज्ञापन बोर्ड के लिए आवश्यकतानुसार अन्य विभागो से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना ठेकेदार का दायित्व होगा।

22. केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार को सर्विस टैक्स देने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

23. नगर निगम के पास ठेका स्वीकार /रद्व/ नैगोसिएशन आदि का पूर्ण अधिकार होगा।

24. टैन्डर में रेट प्रति वर्ष के हिसाब से देना होगा।

25. किसी भी शर्त की उल्लंघना पाये जाने पर तीन माह का नोटिस देकर ठेका रद्व कर दिया जायेगा।

26. सम्बन्धित ऐजैन्सी अपने विज्ञापनों में किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी समुदाय विशेष के विरूद्व कोई विज्ञापन नही लगायेगा जिससे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष व समुदाय विशेष को ठेस पहुंचे।

27. माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा COCP No. 2695/2012 - Bhupinder Singh Vs Ram Niwas में जो भी निर्णय होगा सम्बन्धित ऐजैन्सी/ ठेकेदार उसका पालन करेगा।